

विचार बिन्दु

दया और सत्यता परस्पर मिलते हैं, धर्म और शांति एक-दूसरे का साथ देते हैं। -बाइबल

प्रेस काउन्सिल ऑफ इण्डिया ने मीडिया की स्वतंत्रता हेतु श्री अशोक गहलोत के बयान पर क्यों प्रहार किया?

दिनांक 15.11.2022 के आदेश में जो प्रेस काउन्सिल ऑफ इण्डिया ने, राकेश शर्मा पूर्व पीसीआई सदस्य की लिखित शिकायत पर अपने विवेक से स्वज्ञान से कार्यवाही की है, उसमें अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान राज्य की टिप्पणी को उन्होंने दिनांक 16.12.2019 की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस के बारे में की थी तथा उस पर गम्भीर नाराजगी जताई थी। श्री गहलोत की वह टिप्पणी खुली धमकी थी कि सरकार उन अखबारों को ही विज्ञापन जारी करेगी जो सरकार की रीति रिवाज व कामकाज को पूरे विश्वास से प्रसारित व प्रचारित करते हैं। यह धमकी अखबारों की स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार था। यहाँ यह लिखना समीचीन होगा कि लगभग 3 वर्षों से राष्ट्रदूत, जो राज्य का एक प्रमुख अखबार है को अपने अनुकूल खबरें प्रकाशित नहीं करने के कारण राष्ट्रदूत को सरकार ने विज्ञापन देना बंद कर दिया।

'राष्ट्रदूत' राजस्थान का तीसरा सर्वाधिक सर्कुलेशन वाला दैनिक समाचार पत्र है। इसके आठ संस्करण प्रकाशित होते हैं। राष्ट्रदूत को राज्य के विभागों, बोर्ड व निकायों से इनके विज्ञापन मिलते थे, अब नहीं मिलने के कारण वह 9वें स्थान पर आ गया है।

श्री अशोक गहलोत ने मीडिया में जो बयान दिया वह इस प्रकार था कि हमारी यानी अशोक गहलोत सरकार की न्यूज छापेंगे तो ही विज्ञापन मिलेगा।

इस प्रकरण में पीसीआई ने सभी संबंधित व्यक्तियों को नोटिस किया, सरकार का स्पष्टीकरण भी लिया। राज्य की विज्ञापन पोलिसी का भी विश्लेषण किया। सभी के उत्तर भी लेने का प्रयास किया। वीडियो भी सुना। विज्ञापनों के बावत राज्य के एकाउंटन्ट को भी मंगवाया किन्तु बार बार कहने पर नहीं भेजे। एक जांच कमेटी भी बनाई और रिपोर्ट को फाइल का भाग बनाया। यह भी आपत्ति उठाई कि पीसीआई को सुनवाई का अधिकार नहीं है। प्रेस काउन्सिल ऑफ इण्डिया ने सभी पक्षों को सुनने के बाद तथा प्रेस काउन्सिल एक्ट 1978 की भी भावना को समझने का प्रयास किया, अपनी findings दीं, वे इस प्रकार हैं:-

1) Curtailing the amount of advertisement released to a newspaper would impact free speech as advertisements themselves, supplement the cost of publishing the newspaper.

2) Rajasthan CM Ashok Gehlot's statement that his government would only give advertisement to media that report "positive stories about the State Government and cited "extreme displeasure" at its advertisement policy that allegedly discriminated against a news paper for these years.

3) The statements made by the CM, "would restrict the supply and dissemination of news of public interest.

Final decision:

4) "The Press Council on consideration or record of the case and report of the Inquiry Committee accepts reasons, findings and adopts the report of the Committee and decides to express the extreme displeasure about the statement in question made by the Chief Minister of Rajasthan, Shri Ashok Gehlot and disposes of the matter accordingly with aforesaid observations."

इस केस के तथ्यों के बावत कोई मतभेद नहीं है। इन तथ्यों की पुष्टि भी हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार नागरिकों और प्रेस (मीडिया) को समान रूप से प्राप्त है?

भारत के संविधान ने अपनी उद्देशिका में देश के प्रत्येक नागरिक को विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है और संविधान ने अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का संरक्षण किया है। प्रेस की स्वतंत्रता का उद्भव भी अनुच्छेद 19(1) से ही है यों अनुच्छेद 19 भी अनुच्छेद 21 का ही एक रूप है।

साधारण आदमी की जहाँ पहुँच नहीं वहाँ प्रेस पहुँच सकता है, उसे प्रेस गेलेरी का अधिकार है। प्रेस को यह अधिकार प्राप्त है और इसलिये प्राप्त है कि मीडिया की भूमिका ट्रस्टी के रूप में है। मीडिया, जनता की आँख व कान होते हैं, अतः मीडिया का कार्य जनता के लिये जानकारी उपलब्ध कराना और प्रकाशित करने का है।

इंग्लिश कॉमन लॉ हेरिटेज से देश ने खुली अदालत की प्रणाली को अपनाया है ताकि मीडिया कोर्ट की कार्यवाही को रिपोर्ट कर सके। इस प्रकार मीडिया सार्वजनिक सेवा का ही कार्य करता है और जानकारी जनता तक पहुँचाता है। पत्रकार व प्रेस मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह कर्तव्य है कि सही रिपोर्टिंग करे।

यदि हम सिद्धान्त के रूप से देखें तो यह पायेगे कि व्यक्ति के अभिव्यक्ति के अधिकार और प्रेस के अधिकार में कोई अन्तर नहीं है। हॉ प्रेक्टिस में अन्तर है। साधारण आदमी की जहाँ पहुँच नहीं वहाँ प्रेस पहुँच सकता है, उसे प्रेस गेलेरी का अधिकार है। प्रेस को यह अधिकार प्राप्त है और इसलिये प्राप्त है कि मीडिया की भूमिका ट्रस्टी के रूप में है। मीडिया, जनता की आँख व कान होते हैं, अतः मीडिया का कार्य जनता के लिये जानकारी उपलब्ध कराना और प्रकाशित करने का है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया को सरोगेट ऑफ पब्लिक माना है। ट्रस्टी की भूमिका तथा जनता के प्रति कर्तव्यनिष्ठा को ध्यान में रखें तो मीडिया को स्टेट की परिभाषा में भी माना जा सकता है। सम्भवतः यही कारण है कि मीडिया को डेमोक्रेसी का चौथा स्तम्भ माना गया है। यह एक Statutory Body है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के कई रूप हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचारों, विश्वासों और दृष्टि निश्चयों को अबाध रूप से मौखिक शब्दों के द्वारा लेखन, मुद्रण व चित्रण के द्वारा अभिव्यक्त करने का अधिकार है वह इस बावत स्वतंत्र है, किन्तु वह निरंकुश भी नहीं हो सकता। पत्रकार प्रशान्त कनौजिया के केस में न्यायालय ने लक्ष्मण रेखा खींची है।

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा वहाँ के नागरिकों को मुक्त अभिव्यक्ति व धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की है, किन्तु भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मुक्त अभिव्यक्ति व धर्म का इस अधिकार के अंतर्गत प्रयुक्त प्रतिक्रिया आदि के अंतर्गत कर दिया, साथ ही स्पष्ट कर दिया कि प्रतिक्रिया मुक्त प्रतिक्रिया है या नहीं, इसे प्रमाणित करने का दायित्व राज्य का है। सर्वोच्च न्यायालय स्पष्ट करके हुये कहा कि "अधिक अच्चा दायित्व कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हित वृहत्तर सामाजिक हितों के अधीन हो"।

प्रेस काउन्सिल ऑफ इण्डिया ने अपने आदेश में इस तथ्य को माना है कि वस्तुतः तीन सालों में कटौती के कारण समाचार पत्र राष्ट्रदूत की आय में कमी आई है और श्री अशोक गहलोत "Guilty of Bias" है। कई अखबारों ने आलोचना की है। The Economic Times of India व Times of India ने श्री अशोक गहलोत को Guilty of Bias कहा है। News Drum का उल्लेख करते हुये काउन्सिल ऑफ इण्डिया ने कहा है कि राष्ट्रदूत को विज्ञापन की राशि की कटौती कर उसकी आर्थिक स्थिति को कमजोर किया है और उनके इस Discriminatory व्यवहार के लिये Extreme Displeasure जाहिर किया है। इस तरह गहलोत सरकार ने जनता को राजनैतिक समाचारों से वंचित किया है। कई समाचार पत्रों ने प्रेस काउन्सिल ऑफ इण्डिया के आदेश को रफ्तार किया है। The Hindu ने श्री अशोक गहलोत के इस कथन को कि हम केवल उन्हीं न्यूज पेपरों को विज्ञापन देंगे जो राज्य की स्कोमस का प्रचार करें। टीवी चैनलस ने भी गहलोत के विचारों के विरुद्ध कठोर प्रतिक्रिया दी है।

राज्य सरकार व श्री गहलोत का यह कथन की प्रेस काउन्सिल ऑफ इण्डिया को इस प्रकरण को सुनने का अधिकार नहीं है, प्रेस काउन्सिल ने सही नहीं माना। प्रेस काउन्सिल ऑफ इण्डिया के समक्ष राज्य सरकार की ओर से Advertisement Policy पेश की गई है। स्टेट की प्लॉ है कि उसने कोई भेदभाव नहीं किया। स्टेट ने पत्र दिनांक 12.08.22 के साथ एक Annexure की ओर प्रेस काउन्सिल का ध्यान आकर्षित कर कहा है कि स्टेट द्वारा कोई भेदभाव नहीं है। काउन्सिल ने स्पष्ट किया कि Annexure में कोई भेदभाव करने का उल्लेख ही नहीं है।

सरकार के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ने दिनांक 24.03.2021 का पत्र (ई-मेल) प्रस्तुत किया, जिसमें प्रेस काउन्सिल एक्ट का उल्लेख कर कहा गया है, इसमें प्रेस काउन्सिल को Censure का अधिकार नहीं है। इस आपत्ति को भी प्रेस काउन्सिल ऑफ इण्डिया ने निरस्त किया है। ये सभी कथन प्रेस काउन्सिल की दिनांक 15.11.2022 के आदेश में विस्तार के साथ दिये हैं, जांच कमेटी की रिपोर्ट भी रेकार्ड पर ली है अतः इस लेख में उन्हें विस्तार नहीं दिया है।

सरकार की ओर से जो उत्तर चीफ सेक्रेटरी, आईएफपीआरडी ने पेश किया है, उसमें यह लिखा है कि मुख्यमंत्री हमेशा प्रेस की स्वतंत्रता के परोकार रहे हैं और प्रेस काउन्सिल ऑफ इण्डिया ने श्री गहलोत द्वारा प्रेस के बावत जो उद्गार अभिव्यक्त किये, "भारी नाराजगी" जताई है। श्री गहलोत ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि "न्यूज छापेंगे तो ही विज्ञापन मिलेंगे" मीडिया को यह खुली चुनौती थी कि "सरकार उन्हीं अखबारों को विज्ञापन देगी जो सरकार की रीति-नीति के बारे में उसके पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे"। इसी को जांच रिपोर्ट में भेदभाव पूर्ण व्यवहार कहा है और Observe किया है कि भविष्य में इस प्रकार के विचारों से दूरी बनाये आदेश की गम्भीरता इसी से उजागर है कि सभी समाचार पत्रों ने एक स्वर से प्रेस काउन्सिल के आदेश का समर्थन किया है।

प्रेस की स्वतंत्रता पर जो उसे संविधान से प्राप्त है यह गम्भीर प्रहार की असाधारण घटना है। काउन्सिल ने सलाह दी है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से किनारा किया जावे, क्योंकि प्रेस पर विशेष कर प्रिन्ट मीडिया पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

-अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द्र जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

जी-20 : विश्वास और विश्वसनीयता का नया भारत

विश्व एक है के उद्घोष से भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जी-20 की अध्यक्षता को ग्रहण किया है। विश्व के 20 राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन में रिकवर दुगदर - रिकवर स्ट्रींग के चिन्तन से खाद्य-उर्वरक, जलवायु, पर्यावरण, ऊर्जा सुरक्षा और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे ज्वलंत वैश्विक चिन्तन के विषयों पर निर्भरता से प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन के प्रमुख महाशक्तियों को उद्बोधन के माध्यम से आगाह किया।

'युद्ध के युग' को समाप्त कर 'वसुधैव कुटुम्बक' की प्रेरणा से विश्व को एकजुट रखना आज की प्राथमिकता है। दुनिया को संकट से उबरने के लिए भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल 'एक विश्व, एक परिवार, एक भविष्य' की आशा से विपरीत परिस्थितियों में उबर कर कमल के स्वरूप में खिलते रहने की प्रेरणा देता है। पिछले 11 महीनों से चल रहे रूस, यूक्रेन युद्ध ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की कई समस्याओं को बढ़ाया है। जी-20 के मंच पर भारत के प्रधान सेवक ने संयुक्त राष्ट्रसंघ की युद्ध को रोकने के प्रयासों की विफलता को निर्भरता से सामने रखा।

दो विश्व युद्धों के विनाशकारी परिणामों को झेल चुके 193 से अधिक देशों ने संयुक्त राष्ट्रसंघ पर संभावित युद्धों के संवाद से समाधान का मंच वर्ष 1945 में प्रदान किया था किन्तु महाशक्तियों और सुरक्षा परिषद के मध्य पर्याप्त विचार-विमर्श के बावजूद भी यह लड़ाई जारी है। तालीबान की कबायली बगवत का केई

समाधान नहीं हो सका। श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन को भीड़ ने घेरा, पाकिस्तान की सेना और सरकार के मध्य तनाव के बावजूद आतंकवाद परमाणु आक्रमण की चेतावनी यदा-कदा गौड भभकी जारी है। ऐसे ग्लोबल विश्व में कोरोना के संकट से उबरें राष्ट्रों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर अनेकानेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्वस्त होकर कहा कि यह पहली या तीसरी दुनिया नहीं है, सम्पूर्ण विश्व एक है जिसके सर्वस्वी और सर्वसमावेशी विकास के सामूहिक प्रयास करने होंगे।

एशिया के शोध संस्थान मार्गन स्टैनली के मुखिया चेतन अहां ने पर्याप्त शोध कर भविष्यवाणी की है कि वर्ष 2027 तक भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी जो कि अमेरिका और चीन के बाद प्रमुखतः विदेशी निवेशकों का महत्वपूर्ण केन्द्र बन जायेगा। भारत की जीडीपी आने वाले दस वर्षों में वर्तमान 3.4 ट्रिलियन डॉलर से 8.5 ट्रिलियन डॉलर तक दुगुनी से अधिक हो जायेगी।

जिस भारत को विश्व की उभरती अर्थव्यवस्था माना जा रहा है उस भारत के द्वारा जी-20 के नेतृत्व ने विकसित राष्ट्रों को भारत की बढ़ती महत्ता का परिचय करवाया है। प्रधानमंत्री ने इण्डोनेशिया के बाली में कहा कि दुनिया का विकास भारत को साथ लेकर चलने से ही होगा। भारत की विशालता में



डॉ. निमिषा गौड़

सांस्कृतिक, कला, नवाचार, कर्मठता, ईमानदारी सभी का समावेश है।

वर्ष 2014 के बाद से बदलते भारत के परिवेश में जहरतमंद देशों को सम्पर्क-सहायता सहयोग से मजबूत दूरदर्शिता का परिचय करवाया। अब नया भारत स्पीड और स्कोल से 21 वीं सदी में मजबूत स्थान ग्रहण कर रहा है। भारतीय नागरिकों को निःशुल्क वेक्सीनेशन के साथ-साथ आवश्यकतासंगर खाद्यान्न और दवाईयाँ भी उपलब्ध कराई गईं।

आज आत्मविश्वास से भरे भारत में 135 करोड़ देशवासियों के विश्वास और विश्वसनीयता ने वैश्विक मंच पर सम्मान हासिल किया है। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में रिस स्पीड से विज्ञान और तकनीकों को नियमित दिनचर्या के जीवन में शामिल किया है, यह अभूतपूर्व है।

सरकार की आम जन तक पहुँच न केवल सुनिश्चित हो सकी है अपितु

प्रशासन में पारदर्शिता व जवाबदेहिता ने तंत्र के प्रति लोक की प्रतिबद्धता को स्वीकारा है। इस बदलते परिवेश में शासकीय नीतियों की कथनी और करनी की खाई के युग को समाप्ति की ओर ले गया है।

हाल ही के वित्त वर्ष में नवम्बर तक 10.54 लाख करोड़ रूपये प्रत्यक्ष कर संग्रहण किया है जो भारत की डिजिटल लेन-देन से बढ़ती पारदर्शी अर्थव्यवस्था को परिदक्षित कर रहा है। भारतीय अर्थ के उच्च स्तरीय पैमाने को ख्याति प्राप्त अर्थशास्त्री भी सराह रहे हैं। गांव की सब्जी बेचने वाले, या नियमित रोजगार से जीवन व्ययान करने वालों से लेकर बहुआयामी व्यापारियों तक की जीवनचर्या में डिजिटल लेन-देन अर्थव्यवस्था का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। भारत सरकार के इस अभूतपूर्व दूरदर्शी कदम की सराहना जी-20 शिखर सम्मेलन में अध्यक्षता ग्रहण करते समय मिली जिसमें भारत को डिजिटल अभियान के आगाज में तेजी से बदलाव के कारण डिजिटल क्रांति की ध्रुव स्थिति में पाया। जी-20 की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अन्य विकासशील देशों की आवाज बनने का आगाज करते हुए कहा कि ग्लोबल ग्रोथ के लिए भारत की ऊर्जा सुरक्षा के प्रयास भी महत्वपूर्ण हैं। इस विश्वसनीयता के परिणामस्वरूप नवम्बर 2022 तक भारतीय रिजर्व बैंक के अंशुभार विदेशी मुद्रा भंडार 544.72 अरब डॉलर के अब तक के ऐतिहासिक रिकार्ड स्तर पर आया है। आज भारतीय स्टार्टअप का डंका भी

दुनिया में बजने लगा है जिससे आई.टी. शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि सहित अनेक औद्योगिक क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। हाल ही में वृद्धजनों एवं विकलांग बुजुर्गों को सीधी पेंशन देने के लिए 20 दिनों में 25 लाख डिजिटल लाईफ प्रमाण पत्रों को फोटोमय प्रमाणिकता के साथ बनाया गया। अमेरिका के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जोनाथन फाइजर ने जी-20 शिखर सम्मेलन के डिक्लरेशन संयुक्त बयान में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन की भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति वैश्विक विश्वसनीयता को स्वीकारने हुए वैश्विक मुद्दों पर भारत से उम्मीदें रखने के लिए प्रतिबद्धता भी जताई। आज जी-20 की अध्यक्षता ग्रहण करने वाले भारत की सहज विकासमान गति को वैश्विक प्रेरक स्वरूप में सामूहिक विकास का आदर्श प्रतिमान मानकर आगे बढ़ा जाएगा। विश्व के शक्तिशाली देशों के मध्य युद्ध के अन्तर्द्वन्द्व को भारत का अन्वयोदय दर्शन रोक सकता है। अब विनाश नहीं विकास से दुनिया को एकजुट कर नया भारत, नई दुनिया के नवीन प्रतिमानों को गढ़ेगा। दिसम्बर 2022 से भारतवासी जी-20 के राष्ट्राध्यक्षों की सेनानी देश के विभिन्न राज्यों की सनातन सांस्कृतिक विविधताओं और परम्पराओं की समृद्धि के साथ करेंगे।

जी-20 के अद्भुत स्वागत को आतुर है विश्व गुरु भारत।

-डॉ. निमिषा गौड़,
(शिक्षाविद, स्वतंत्र टिप्पणीकार)

अलवर राज्य के संस्थापक: रावराजा प्रतापसिंह

राजा विराट के पिता वेणु ने मत्स्यपुरी नामक नगर बसाया जो वर्तमान में माचाडी के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद राजा विराट ने बैराट नामक नगर की स्थापना की थी। इस प्रकार ऐतिहासिक दृष्टि से अलवर राज्य प्रागैतिहासिक कालीन राज्य है।

महाजनपद काल में यह क्षेत्र मत्स्य महाजनपद के अन्तर्गत आता था जिसकी राजधानी विराटनगर थी जो बाद में मौर्य साम्राज्य के अधीन भी रहा। पूर्व मध्यकाल में यह क्षेत्र गुर्जर प्रतिहारों के अधीन रहा जिनका मुख्यालय राजौरागढ़ था, जहाँ महाराजाधिराज श्री सावत तथा मथुरादेव प्रमुख राजा हुए। जिनकी प्राचीन राजधानी देवती थी। 14-15 वीं सदी में यहाँ पर बड़गुजर राजाओं का राज्य रहा जिसकी राजधानी माचाडी थी। तत्कालीन माचाडी राज्य में चंपना देवी एवं प्रला देवी नाम प्रमुख रानीयों का शासन में प्रभाव रहा। सन 1482 ई. में अलावल खां खानजाना ने अलवर का किला निकुंभ क्षत्रियों से छीनकर उसे अपना मुख्यालय बनाया। अलावल खां का पुत्र हसन खां मेवाती बड़ा ही वीर, प्राणी, विद्याप्रेमी और देशप्रेमी था, जिसने मुगल बादशाह बाबर के खिलाफ राणा सांगा का सहयोग किया जो बाला की सेना से लड़ते हुए 17 मार्च, 1527 को वीरगति को प्राप्त हुआ। राणा सांगा पर विजय प्राप्त करने के उपरान्त बाबर ने 7 अक्टूबर, 1527 को अलवर में प्रवेश किया। बाबर ने मेवातियों के साथ में वैवाहिक सम्बंध स्थापित कर उदा मेवातियों को नियंत्रित करने की रणनीति अपनायी। इस प्रकार मेवात पर मुगलों का अधिकार हो गया। सन 16वीं शताब्दी में माचाडी के हेमू ने मुगलों को परास्त कर दिल्ली पर अधिकार किया तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर दिल्ली के सम्राट बने जिनको पानीपत के द्वितीय युद्ध में घायल होने पर मुगलों द्वारा बन्दी बना लिया गया। बाद में उनको मृत्युदण्ड दिया गया। अकबर ने प्रशासनिक दृष्टि से मेवात को दो जिलों अलवर और तिजारा में विभक्त किया। सन् 1761 ई. में जब दिल्ली के मुगल शासक कमजोर हो गये तो भरतपुर के शासक सूरजमल जाट ने अलवर दुर्ग पर कब्जा कर लिया।

राव प्रतापसिंह का उदय ऐसे समय हुआ जब 18वीं शताब्दी एवं मुगल साम्राज्य दोनों का उरग्राह का समय था तथा विभिन्न धर्मों एवं जातियों के साहसी लोग विघटित साम्राज्य के खंडहरों पर अपने लिए प्रभुत्व एवं भाग्य बनाने का

प्रयास कर रहे थे। 25 नवम्बर, 1775 ई. में रावराजा प्रतापसिंह द्वारा अलवर राज्य की स्थापना से पूर्व भौगोलिक दृष्टि से यह क्षेत्र निम्नालिखित पाँच देशों में विभक्त था- 1. राठ देश: राज्य की उत्तरी -पश्चिम में स्थित है, जो दिल्ली के प्रसिद्ध राजा पृथ्वीराज का वंशज होने का दावा करते हैं। चौहान राजपूत पतन ने सन 1170 ई. में मुण्डाजी की स्थापना की। उनके वंशज हंसाजी ने राव की उपाधि प्राप्त की। 2. बाल देश:- अलवर राज्य की पश्चिमी सीमा पर स्थित है और मुख्य रूप से शेखावत राजपूतों के कब्जे में था। कहा जाता है कि शेखा जी के पुत्र रायमल इस राज्य (वर्तमान बानसूर क्षेत्र) में बाल परिवारों के पिता थे। इसका क्षेत्रफल 226 वर्गमील था। 3. राजावत देश:- राज्य के दक्षिण-पश्चिम में स्थित यह क्षेत्र वर्तमान थानागाजी क्षेत्र से मेल खाता है। बानगड यहाँ का सबसे बड़ा शहर था। एक समय यहाँ जयपुर के राजावत राजपूतों के कब्जे में क्षेत्र का एक हिस्सा रहा, व आमेर के राजा भगवंत सिंह के वंशज थे। इसका क्षेत्रफल 365 वर्गमील था। 4. मेवात:- नरु खण्ड को छोड़कर राज्य का शेष भाग मेवात में है, जिसमें आधे से अधिक क्षेत्र स्थित है। अलवर नगर इसी क्षेत्र में स्थित है। यहाँ के अधिकांश निवासी मेव हैं, वे मुसलमान हैं, लेकिन राजपूत मूल के होने का दावा करते हैं। मेवों के कबीले में सबसे अधिक नाई, सिंगल और दुलती हैं। इसका क्षेत्रफल 1160 वर्गमील था। एक मेवाती कवि ने मेवात की भौगोलिक स्थिति का निम्न शब्दों में वर्णन किया है- "इत दिल्ली, उत आगरो, इत अलवर बैराट, कालो पहाड सुहावनो, जाके बीच बसो मेवात।"

5. नरुखण्ड:- यह क्षेत्र नरुका राजपूतों का देश राज्य के दक्षिण-पूर्व में स्थित है। नरुका राजपूतों ने राज्य के आधार का निर्माण कर अलवर राज्य की स्थापना की। इसका क्षेत्रफल 755 वर्गमील था। अलवर राज्य के राजा कच्छवाहा राजवंश की लालावत नरुका शाखा के हैं। अलवर के नरेश आमेर के चौदहवें राजा राव उदयकण के ज्येष्ठ पुत्र बरसिंह के वंशज हैं। बरसिंह के पौत्र नरु से नरुका शाखा चली और नरु के पुत्र राव लाला



डॉ. डी. सी. मीना

से लालावत नरुका कहलाये।

इनके वंशज कल्याण सिंह ने मिर्जा राजा जयसिंह के पुत्र कौंठ सिंह के साथ मिलकर कामां (भरतपुर) के उपद्रवी मेवों का दमन किया। एक स्थानीय किंवदन्ती उस कारण से संबंधित है जिसने कल्याणसिंह को माचाडी लौटने के लिए प्रेरित किया। ऐसा कहते हैं कि उन्होंने सती होने से ठीक पहले खेरात सिंह की विधवा से निर्देश मांगा जिसने सती होने से ठीक पहले उतर दिया कि:- "जाओ बस, अब देश में, राव कल्याणजी आप, आगे कुल में होंगे, प्रताप एक प्रताप।"

कल्याण सिंह के पांच पुत्रों में आनन्द सिंह माचाडी के, श्याम सिंह पाडा के, जोधसिंह पाई के, अमर सिंह खोहरा के एवं ईश्वरी सिंह पलवा के जागीरदार हैं।

माचाडी के जागीरदार आनन्द सिंह (उठासिंह) के बाद हाथीसिंह, मुकन्द सिंह व तेजसिंह माचाडी की गद्दी पर बैठे। तेजसिंह के दो पुत्र हुए, जोरावर सिंह एवं जालिम सिंहा। जोरावर सिंह के पुत्र मोहब्बत सिंह माचाडी के जागीरदार बने, जो 1756 में बकाडे के युद्ध में जयपुर की ओर से उलठे हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। मोहब्बत सिंह की मृत्यु के बाद इनके पुत्र प्रतापसिंह माचाडी के जागीरदार बने। प्रताप सिंह का जन्म माचाडी में 01 जून 1740 को मोहब्बत सिंह एवं उनको मृत्युदण्ड दिया गया। अकबर ने प्रशासनिक दृष्टि से मेवात को दो जिलों अलवर और तिजारा में विभक्त किया। सन् 1761 ई. में जब दिल्ली के मुगल शासक कमजोर हो गये तो भरतपुर के शासक सूरजमल जाट ने अलवर दुर्ग पर कब्जा कर लिया।

राव प्रतापसिंह का उदय ऐसे समय हुआ जब 18वीं शताब्दी एवं मुगल साम्राज्य दोनों का उरग्राह का समय था तथा विभिन्न धर्मों एवं जातियों के साहसी लोग विघटित साम्राज्य के खंडहरों पर अपने लिए प्रभुत्व एवं भाग्य बनाने का प्रयास कर रहे थे। 25 नवम्बर, 1775 ई. में रावराजा प्रतापसिंह द्वारा अलवर राज्य की स्थापना से पूर्व भौगोलिक दृष्टि से यह क्षेत्र निम्नालिखित पाँच देशों में विभक्त था- 1. राठ देश: राज्य की उत्तरी -पश्चिम में स्थित है, जो दिल्ली के प्रसिद्ध राजा पृथ्वीराज का वंशज होने का दावा करते हैं। चौहान राजपूत पतन ने सन 1170 ई. में मुण्डाजी की स्थापना की। उनके वंशज हंसाजी ने राव की उपाधि प्राप्त की। 2. बाल देश:- अलवर राज्य की पश्चिमी सीमा पर स्थित है और मुख्य रूप से शेखावत राजपूतों के कब्जे में था। कहा जाता है कि शेखा जी के पुत्र रायमल इस राज्य (वर्तमान बानसूर क्षेत्र) में बाल परिवारों के पिता थे। इसका क्षेत्रफल 226 वर्गमील था। 3. राजावत देश:- राज्य के दक्षिण-पश्चिम में स्थित यह क्षेत्र वर्तमान थानागाजी क्षेत्र से मेल खाता है। बानगड यहाँ का सबसे बड़ा शहर था। एक समय यहाँ जयपुर के राजावत राजपूतों के कब्जे में क्षेत्र का एक हिस्सा रहा, व आमेर के राजा भगवंत सिंह के वंशज थे। इसका क्षेत्रफल 365 वर्गमील था। 4. मेवात:- नरु खण्ड को छोड़कर राज्य का शेष भाग मेवात में है, जिसमें आधे से अधिक क्षेत्र स्थित है। अलवर नगर इसी क्षेत्र में स्थित है। यहाँ के अधिकांश निवासी मेव हैं, वे मुसलमान हैं, लेकिन राजपूत मूल के होने का दावा करते हैं। मेवों के कबीले में सबसे अधिक नाई, सिंगल और दुलती हैं। इसका क्षेत्रफल 1160 वर्गमील था। एक मेवाती कवि ने मेवात की भौगोलिक स्थिति का निम्न शब्दों में वर्णन किया है- "इत दिल्ली, उत आगरो, इत अलवर बैराट, कालो पहाड सुहावनो, जाके बीच बसो मेवात।"

5. नरुखण्ड:- यह क्षेत्र नरुका राजपूतों का देश राज्य के दक्षिण-पूर्व में स्थित है। नरुका राजपूतों ने राज्य के आधार का निर्माण कर अलवर राज्य की स्थापना की। इसका क्षेत्रफल 755 वर्गमील था। अलवर राज्य के राजा कच्छवाहा राजवंश की लालावत नरुका शाखा के हैं। अलवर के नरेश आमेर के चौदहवें राजा राव उदयकण के ज्येष्ठ पुत्र बरसिंह के वंशज हैं। बरसिंह के पौत्र नरु से नरुका शाखा चली और नरु के पुत्र राव लाला

विवाद को शांत करने के लिए राजा द्वारा आदेश पारित किया गया कि एक दिन राजा प्रताप सिंह एवं दूसरे दिन जोधसिंह उसी क्षेत्र पर बैठेंगे लेकिन राजा प्रताप सिंह चौमू के ठाकुर जोधसिंह की आँखों में खटके लगे। प्रतापसिंह ने सर्वप्रथम अपने मुखिया को बुलाकर की पालना करते हुए उनीयारा के अशांत नरुकाओं को शांत करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। यहाँ से आमेर प्रमुख और प्रतापसिंह के बीच भय एवं अविश्वासका की शुरुआत हुई।

गंगावर तालिया के नेतृत्व में रणथम्भौर के किले पर मराठों ने चढाई कर दी तब प्रतापसिंह ने बड़ी वीरता दिखाते हुए 18 नवम्बर, 1759 को काकाडी के युद्ध में मराठों को हार दिया तथा रणथम्भौर पर महाराजा माधोसिंह का अधिकार हो गया। रणथम्भौर विजय के बाद प्रतापसिंह की प्रसिद्धि बहुत बढ़ गई। राजा माधोसिंह को ज्योतिषियों एवं कुछ दार्बारीयों ने भड़का दिया जिससे राजा माधोसिंह ने शिकार करने के बहाने प्रताप सिंह पर हमला कर दिया, लेकिन प्रताप सिंह बाल-बाल बच गया। प्रताप सिंह ने जान बचाकर के लिए इस क्षेत्र को छोड़ना ही उचित समझा एवं राजगढ़ चले गये।

माचाडी के राव प्रतापसिंह ने इन सभी परिस्थितियों को बहुत ही चतुराई से अपने लिए अनुकूल बनाया। बाद में महाराजा जवाहर सिंह के शिविर को छोड़कर अलवर की ओर से जयपुर जाकर मांवाडी और मंडोली के युद्ध में प्रतापसिंह ने जयपुर नरेश का साथ दिया एवं युद्ध में जीत जयपुर नरेश की हुई। प्रतापसिंह के लिए यह युद्ध पूरी तरह साकार हुआ। जयपुर नरेश माधोसिंह ने पहले तो इस जीत की खुशी में उन्हें न केवल अपनी पीठली गन्तियों के लिए क्षमा किया गया, बल्कि माचाडी की जागीर को बहाल कर दिया और राजा शब्द को उनके पूर्व शीर्षक के साथ जोड़ने का समर्थन किया तथा राजगढ़ में किला बनाने की अनुमति दी। जयपुर में माधोसिंह की मृत्यु के बाद हुए विचार में उसने दहला, राधुपुर, प्रतापद्वार, अजनाबद और गाजी का थाना पर कब्जा कर लिया। अलवर की चौकी का वेतन जो उस समय भरतपुर वहन करता था, राज्य में प्रचलित अराजकता के कारण बकाया था। इसके कमाण्डर फौजदार नवलसिंह ने दहला में प्रतापसिंह से मुलाकात कर आपसी वार्तालाप से 25 नवम्बर, 1775 को अलवर को सौंप दिया। इस प्रकार अलवर रियासत का एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उदय हुआ। प्रताप

सिंह की मृत्यु जनवरी 1791 ई. को हुई। प्रतापसिंह के कोई संतान नहीं थी। अतः उसने मृत्यु के पहले लाह के जागीरदार धीरसिंह के पुत्र बख्तावरसिंह को गोद लेकर उसे अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। अपने उत्तराधिकारी के चुनाव के लिए उसने 12 कोटडियों के लड़कों को इकट्ठा किया। उनके सामने विभिन्न प्रकार के खिलाते व अस्त्र-शस्त्र रख दिये और उन्हें अपनी पसन्द की वस्तुएं लेने को कहा गया। बख्तावरसिंह ने तब और बालकों की भाँति खिलाते पसन्द न कर डाल-तलवार पसन्द की। अतः प्रतापसिंह ने रक्त संबंध में निकटता की बजाय योग्यता के आधार पर बख्तावरसिंह को अपना उत्तराधिकारी चुना।

बख्तावरसिंह ने भी रावराजा प्रतापसिंह के विलय नीति का पालन किया। सन् 1803 में लासवाडी की लड़ाई में मराठों के खिलाफ अंग्रेज जनरल लार्डलेक की मदद की थी। इसके बाद में राज्य का उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में राठ का परगना, हरियाणा तथा मेवात के कुछ हिस्से अलवर राज्य को मिल गये। पुनः 28 नवम्बर 1803 की एक सनद द्वारा परगना इस्माइलपुर और मुंडावर तथा सूबा साहाजपुर में से दरबारपुर, राई, नीमगणा, माँदन, धौलोट, बीजवाड, सराय, दादरी, लोहारू, बूडलाव और भीकर अलवर राज्य को मैत्री स्वरूप दिये गये। 15 अक्टूबर सन् 1805 में अंतोर्जा एवं बख्तावर सिंह के बीच एक इकरारनामा हुआ जिसके तहत अलवर से दादरी, बुधवाजा और भावना के परगने के बदले में अंतोर्जा ने तिजारा, टपुफुडा एवं कदूमर के परगने अलवर राज्य को दे दिये गये। एक लाख रुपये देकर किशानदा का किला भी प्राप्त किया गया।

इस प्रकार अलवर राज्य की उत्पत्ति एक उल्लेखनीय व्यक्ति की प्रतिभा एवं कौशल के कारण हुई जिसने जयपुर में महाराजाओं के अधीन डाई गाँव की अपनी मूल विरासत का विस्तार कर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की जो आकार में इंग्लैण्ड की दो कांउटियों के बराबर था जिसको बख्तावर सिंह ने पूर्ण आकार दिया। अलवर राज्य की स्थापना के लगभग 100 वर्ष बाद प्रताप सिंह की नीतियों का अनुसरण कर यूरोप में जोसेफ मैजिनी, कावूर एवं गैरिवाल्डी ने 1870-71 ई. में इटली का तथा बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया।